कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः– 1634 / FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनॉकःदेहरादून 5 जनवरी, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाश रोड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/29571/2017)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 02–08–2021

महोदय,

विशयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 02–08–2021** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पि चमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 878 / 12–1 दिनांक 23.12.2021 से प्राप्त आख्या संलग्न कर प्रेशित की जा रही है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्तावित मार्ग मुख्यतः हल्द्वानी–बरेली राजमार्ग के बाईपास के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है अतः यह अपेक्षित है कि बैठक में प्रस्ताव पर विस्तृत विवेचना की जाए तथा सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन मंडल अधिकारी आर0ई0सी0 के समक्ष प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री घोशणा संख्या 310 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार प्रेशित हैः– • परियोजना की लम्बाई–13.700 कि0मी0 • परियोजना की लागत– रू0 57.00 लाख (प्रथम चरण) • प्रयोक्ता एजेन्सी–लोक निर्माण विभाग (नि0ख0, हल्द्वानी) • वनभूमि का विवरण– आरक्षित वन भूमि–12.330 है0 • वन भूमि का घनत्व– 0–0.10 • वनभूमि का इको क्लास–I • 7 मी0 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–446 वृक्ष • क्या बांज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं–नहीं • वन्यजीव अभ्यारण की सीमा नंधौर से हवाई दूरी–13.70 कि0मी0 • लाभान्वित गांव– कुल 15 गांव के साथ ही राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को वि शेश सुविधा प्राप्त होगी।
2	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र 'prone to erosion' है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है कि इस सम्बन्ध में structures and budgetary provisions पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'prone to erosion' के बचाव हेतु आव यकतानुसार प्रस्ताव गठित कर लिया गया है। तदानुसार स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 में structures and budgetary provisions कर लिया जायेगा।

3	साधारणतः ऐसे प्रस्तावों पर 7 मी0 पर भी enumeration list चाही जाती है क्योंकि अमुख प्रस्ताव में प्रस्तावित 562 वृक्षों की गणना 9 मीटर चौड़ाई पर की गई है, अतः राज्य सरकार वृक्षों की गणना 7 मीटर पर कर उसकी सूची इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन में पुनः 7.00 मीटर में वृक्षों की गणना कर ली गयी है, जिसमें 446 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार व व्यास श्रेणीवार सूची संलग्न है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1634 / FP/UK/ROAD/29571/2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक 878/12—1 दिनांक 23.12.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।